न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अवि गर्ग आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 269/2018

1. जगसीर सिंह उम्र 39 साल
2. अवतार सिंह उम्र 36 साल

पुत्र श्री मेजरसिंह जाति जटसिख निवासी अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– वादीगण

–:: बनाम ::–

1. मेजरसिंह उम्र 58 साल पुत्र श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।
2. कर्मजीत कौर पुत्री मेजरसिंह पत्नि श्री सिकन्दरसिंह जाति जटसिख निवासी अहमदपुरा हालनिवासी खरलियां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

–– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री संजीव आहूजा अधिवक्ता ––वादीगण
2. श्री सोहनलाल सुथार अधिवक्ता –– प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 08.08.2019

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का स्थाई पता वाद पत्र के शीर्षक के व्यवहार सहिंता के आदेश 6 नियम 14 ए के अनुसार सही अंकित किया गया है।

वादीगण हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है।

वादीगण के पिता यानि प्रतिवादी संख्या । के नाम की कृषि भुमि तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर 17 पी बी एन के खाता संख्या 126/126 के प.न. 22/321 मु.न. 61 किला नम्बर 15 ता 18/1.012, 23 ता 25/0.759= 1.771 हैक्टयर नहरी मय गैर मुमकिन खाला व प.न 22/322 मु.न. 66 किला नम्बर 1–2/0.506= 0.506 हैक्टयर इस प्रकार दोनो पत्थरो की कुल 2.277 हैक्टयर नहरी मय गैर मुमकिन खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है । प्रमाणित जमाबन्दी चक नम्बर 17 पी बी एन बी के खाता संख्या 126ध126 संम्वत 2074–2077 संलग्न वाद पत्र है ।

वादीगण के पिता के नाम की उक्त भुमि को वादीगण के दादा श्री जगीरसिह पुत्र श्री देवासिंह ने खरीद कर दी थी तथा अपने नाम की भूमि तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर 16 पी.बी.एन. के प.न.18/310 की 6.325 हैक्टयर भुमि की आय व संयुक्त परिवार की आय की आमदनी से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खरीद कर दी है जिसमे मिन वादीगण का भी हक व हिस्सा है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी चक नम्बर 16 पी.बी.एन. सम्वत 2046 संलग्न वाद पत्र है।

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की उक्त भुमि विरास्तन भुमि की आमदनी से खरीद की गई है । जिसमे मिन वादीगण का इल ठपतजी अधिकार है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 भेजरसिंह के नाम की कृषि भुमि तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर चक नम्बर 17 पी बी एन के खाता संख्या 126/126 के प.न.22/321 मु.न.61 किला नम्बर 15 ता 18/1.012, 23 ता 25/0.759 =1.771 हैक्टयर नहरी मय गैर मुमकिन खाला व प.न 22/322 मु.न.66 किला नम्बर 1–2/0.506 = 0.506 हैक्टयर इस प्रकार दोनो पत्थरो की कुल 2.277 हैक्टयर नहरी

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर पीलीबंगा

Scanned by CamScanner

मय गैर मुमकिन खाला मे मिन वादीगण का 1/4 1/4 हिस्सा कुल 1.138 हैक्टयर (प्रत्येक वादी का 0.569 हैक्टयर) पर वाजिब व कानूनी हक व हिस्सा रखता है।

प्रतिवादी संख्या 1 के पास उक्त भुमि के अलावा तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर 18 पी.बी. एन. के प.न.18/310 मे किला नम्बर 1 ता 25 मे कुल 6.325 हैक्टयर के 1/3 हिस्सा यानि कुल 2.108 हैक्टयर अन्य भुमि है जो कि मुताबिक उक्त बटवारा प्रतिवादी संख्या 1 को उसके भरण पोषण के लिए द रखी है जिन पर उनका कब्जा है तथा प्रतिवादी संख्या 1-2 ने उक्त भुमि चक नम्बर 17 पी बी एन बी मे कुल 2.277 हैक्टयर भुमि के अपना-अपना 1/4 1/4 दोनो ने अपना-अपना तमाम हिस्सा यानि कुल 1.138 हैक्टयर (प्रत्येक का 0.569 हैक्टयर)हिस्सा यानि तमाम हक व हिस्सा का हक मे त्याग मिन वादीगण के हक मे बहिस्सा बराबर कर रखा है इस प्रकार मिन वादीगण को 1.138 हैक्टयर हिस्सा स्वयं का व 1.138 हैक्टयर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हक त्याग के बाद कुल 2.277 हैक्टयर भुमि वादीगण को प्राप्त हुई है ।

उक्त भुमि का कब्जा मिन वादीगण के पास इसी अनुसार ही है तथा वादीगण अपने हिस्सा मे आई उक्त भुमि की खातेदारी घोषणा करवाने के कानूनी अधिकारी है उक्त भुमि मौका पर प्रतिवादी संख्या 1 मेजरसिंह अकेले के नाम से होने के कारण रकम राशि जमा करवाने व बैक से ऋण आदि लेने मे मिन वादीगण को काफी मुश्किलो का सामना करना पडता है व प्रतिवादीगण को उक्त भुमि का मुताबिक बटवारा भुमि की खातेदारी घोषणा करवाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण पहले तो आजकल आजकल का बहाना बनाते रहे व एक माह पूर्व स्पष्ट इन्कार हो गये, यही वाद कारण है ।

उक्त वाद श्रीमान् जी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है व उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवादी संख्या 3 भू-धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है ।

अतः वादपत्र दो प्रतियों में मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त दावा को मुताबिक अनुतोष डिकी फरमाया जावे:-

(अ). दावा की मद संख्या 2 मे वर्णित भुमि तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर 17 पी.बी.एन. के खाता संख्या 126/125 के प.न.22/321 मु.न.61 किला नम्बर 15 ता 18/1.012 23 ता 25/0.759 कुल 1.771 हैक्टयर नहरी मय गैर मुमकिन खाला व प.न 22/322 मु.न.66 किला नम्बर 1-2/0.506 =0.506 इस प्रकार दोनो मुरब्बो की कुल 2.277 हैक्टयर नहरी मय गैर मुमकिन खाला जो कि मौका पर प्रतिवादी संख्या 1 मेजरसिंह पुत्र श्री जर्नैलसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है से प्रतिवादी संख्या 1 मेजरसिंह पुत्र श्री जर्नैलसिंह का नाम कलमजन कर मिन वादीगण के हक मे ब.हिस्सा बराबर खातेदारी घोषणा की जाकर वादीगण को एकल खातेदार घोषित किया जावे व रकम राज अलग से कायम की जावे।

(ब). वाद खर्चा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे ।

(स). अन्य अनुतोष जो श्रीमानजी उचित समझे प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

सहायक कलेक्टर एवं अधिकारी पीलीबंगा

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादी के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होने के कारण दिनांक 22.07.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढनें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादी की पहचान श्री संजीव आहूजा अधिवक्ता तथा प्रतिवादी की पहचान श्री सोहनलाल सुथार अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उपरोक्त अनवान सदर के प्रकरण में दोनों पक्ष एक ही परिवार के सदस्यगण है दोनो पक्षो द्वारा पूर्व में किये गये पारिवारिक समझौते अनुसार व परिवार के प्रमुख रिश्तेदारो के प्रोत्साहन से परस्पर मुकदमेबाजी नही होने देने के लिये स्वेच्छा पूर्ण राजीनामा कर लिया है, जो निम्न प्रकार से है :-

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर 17 पी.बी.एन. के खाता संख्या 126/128 के प.न. 22/321 मु.न.61 किला नम्बर 15 ता 18/1.012, 23 ता 25/0.759= 1.771 हैक्टयर नहरी मय गैर मुमकिन खाला व प.न 22/322 मु.न. 66 किला नम्बर 1–2/0.506= 0.506 हैक्टयर इस प्रकार दोनो पत्थरो की कुल 2. 277 हैक्टयर नहरी मय गैर मुमकिन खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है।

प्रतिवादी संख्या 1–2 ने उक्त भूमि चक नम्बर 17 पी बी एन की मे कुल 2.277 हैक्टयर भूमि मे अपना–अपना 1/4, 1/4 दोनो ने अपना–अपना तमाम हिस्सा यानि कुल 1.139 हैक्टयर(प्रत्येक का 0.569 हैक्टयर)हिस्सा यानि तमाम हक व हिस्सा का हक मे त्याग मिन वादीगण के हक मे बहिस्सा बराबर कर रखा है इस प्रकार मिन वादीगण को 1.138 हैक्टयर हिस्सा स्वंय का व 1.139 हैक्टयर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हक त्याग के बाद कुल 2. 277 हैक्टयर भूमि वादीगण को प्राप्त हुई है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा उक्त प्रकरण मे लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है तथा उक्त भूमि जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है । उक्त भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना अपना हक व हिस्सा का त्याग पुर्व मे ही कर रखा है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलम जन कर वादीगण के हक मे ब हिस्सा बराबर खातेदारी घोषणा की जाती है तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई एतराज नही है।

वादीगण का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो पक्षकारान को कोई उजर एतराज नहीं होगा । राजीनामा पक्षकारान ने अपनी पूर्ण होश हवास बिना किसी नशा पता के बिना किसी दबाव व बहकाव के लिखवा दिया हैं।

उभयपक्ष द्वारा राजीनामा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वादपत्र में वर्णित भूमि का अन्य किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है, भूमि पैतृक है, राजीनामा के अनुसार हम पक्षकारान मौके पर कब्जा काश्त है। भूमि से सम्बंधित समस्त पक्षकारान को पक्षकार बनाया गया है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होनें पर किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए वाद का निर्णय कर डिक्री जारी करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीरे प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

Scanned by CamScanner

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्यन्न किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद मे वर्णित भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है। जो जद्दी जायदाद होनें के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

-: आदेश :-

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 मेजरसिंह के नाम तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर 17 पी.बी.एन. के खाता संख्या 126/126 के प.न.22/321 मु.न.61 किला नम्बर 15 ता 18/1.012, 23 ता 25/0.759 कुल 1.771 हैक्टर व प.न 22/322 मु.न. 66 किला नम्बर 1–2/0.506 =0.506 हैक्टर कुल 2.277 हैक्टर भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 मेजरसिंह का नाम कलमजन कर वादी संख्या 1 जगसीर सिंह तथा वादी संख्या 2 अवतार सिंह को ब.हिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित कर रकमराज अलग कायम की जाती है।

आदेशानुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के सम्बंध मे निम्न बिन्दुओं की पूर्ण जांच कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे :–

1. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बंध में वर्तमान में किसी अन्य न्यायालय मे कोई वाद/स्थगन तो विचाराधीन नहीं है।
2. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बंध में किसी भी प्रकार का कोई बकाया ना हो भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त हो।
3. वाद पत्र में वर्णित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16, विशेष आवंटन/सीलिग अधिनियम से प्रभावित न हो।
4. वाद में वर्णित भूमि गैर खातेदार/रकबा राज ना हो
5. वाद पत्र में वर्णित भूमि पर उभयपक्ष के कब्जा सम्बंधी पूर्ण जांच करें।
6. वाद पत्र में वर्णित भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 08.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Scanned by CamScanner